(72)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4734/2018/धार/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 28.05.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 194/अपील/2013-14.

अनिल कुमार पिता श्री भैरूलाल मालवीय
निवासी ग्राम धरमपुरी, तहसील धरमपुरी,
जिला धार, म.प्र. .... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन .... अनावेदक

श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश शर्मा, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/5/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 28.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि खनिज अधिकारी जिला धार द्वारा पत्र क्रमांक 493/खनिज/2006 दिनांक 13.01.2006 से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनावर जिला धार को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया कि ग्राम महापुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 123 से अनिल कुमार भेरूलाल मालवीय द्वारा 4000 घनमीटर अवैध खनिज उत्खनन रेत का किये जाने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 39/2005-06 दर्ज कर आदेश दिनांक 20-1-06 द्वारा 800000/- रूपये अर्थदंड अधिरोपित किया गया । इस आदेश

के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील किए जाने पर प्रकरण दिनांक 12-2-07 को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि संहिता के प्रावधान अनुसार अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए तथा शासन पक्ष को प्रमाणित करने के उपरांत आदेश पारित किया जाये । प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में दिनांक 29.07.2011 को आवेदक पर 4000 घनमीटर खनिज रायल्टी का बाजार मूल्य 4,00,000/- का दुगुना 8,00,000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील कलेक्टर जिला धार को किये जाने पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 से अपीलार्थी की अपील को निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत् रखा गया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28.05.2018 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में बिना आवेदक को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये, बिना उक्त तथाकथित अवैध खनिज उत्खनन किस अवधि में किया गया, किस व्यक्ति द्वारा किया गया, उक्त तथ्यों को साबित हुए बिना, मात्र खनिज अधिकारी व राजस्व निरीक्षक की संदेहास्पद विरोधाभासी साक्ष्य के आधार पर अनुमानों एवं निराधार कल्पनाओं के आधार पर आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है एवं उक्त अवैधानिक आदेश को यथावत् रखे जाने में दोनों अपीलीय न्यायालय ने भी विधि की गंभीर त्रुटि की है। इस संबंध में 1994 आर.एन. 241 एवं 1990 आर.एन. 162 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(2) अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष खनिज अधिकारी श्री चन्द्रभान जोशी के प्रतिपरीक्षण में आवेदक को अतिक्रमण की जगह पर उत्खनन नहीं करते देखा गया होना एवं आवेदक उसकी स्वीकृत खदान में उत्खनन पाया जाने के तथ्य के स्पष्ट कथन करने के बाद भी मात्र खनिज अधिकारी द्वारा बताई गई संभावना व अनुमानों के आधार पर आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है एवं उक्त अप्रमाणित

साक्ष्य के आधार पर पारित अवैध आदेश को यथावत रखने में दोनों अपीलीय न्यायालयों ने भी विधि की गंभीर त्रुटि की है।

(3) अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.12.2005 के प्रस्तुत पंचनामों में तथाकथित अवैध खनिज उत्खनन किये जाने में आवेदक का नाम अलग से लिखा गया होना स्पष्टत: परिलक्षित होने के बावजूद उक्त संदेहास्पद पंचनामे को बिना स्वतंत्र साक्षियों से प्रमाणित कराये उक्त पंचनामे के आधार पर आदेश पारित करने में विचारण न्यायालय ने गंभीर वैधानिक त्रुटि की है।

(4) अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में पेशी दिनांक 14.01.2008 पंचनामे के साक्षियों व पटवारी को रिकॉर्ड सहित तलब किये जाने हेतु नियत किये जाने के पश्चात् प्रकरण वक्त गिरदावरी में दिनांक 25.06.2010 को लेने के पश्चात् बिना आवेदक को विधिवत कोई सूचना दिये, आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, जिस पर कोई विचार न करते हुए अपीलीय न्यायालयों ने भी अवैधानिक आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अवैधानिक आदेश पारित किया है, जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि विचारण न्यायालय के प्रकरण में आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2010 को जारी पेशी दिनांक 16.07.2010 के सूचना पत्र की आवेदक की फर्जी हस्ताक्षरयुक्त तामिली प्रति संलग्न है, किंतु विचारण न्यायलय की प्रोसीडिंग आदेशिका दिनांक 16.07.2010 में आवेदक को जारी सूचना पत्र तामिल होकर प्राप्त नहीं होना उल्लेखित है एवं विचारण न्यायालय के प्रकरण में राजस्व निरीक्षक (श्री देवेन्द्र जोशी) के बयानों के मुख्य परीक्षण में भी कोई दिनांक अंकित नहीं है एवं पंचनामे के अन्य स्वतंत्र साक्षियों के भी बयान विचारण न्यायालय द्वारा अंकित नहीं किये गये और ना ही राजस्व निरीक्षक के बयानों पर आवेदक को प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर नहीं दिया गया। उक्त तथ्यों पर बिना कोई विचार किये अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित पूर्वाग्रह से ग्रसित अवैधानिक आदेश को यथावत रखे जाने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है। इस संबंध में 1990 आर.एन. 178, 1997 आर.एन. 174 एवं राजस्व मंडल द्वारा प्रकरण क्रं. अपील 1242 PBR/2017 राहुल गुप्ता विरूद्ध म.प्र. शासन आदेश दिनांक 20.03.2018 के न्याय दृष्टांत

प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से अपर आयुक्त के आदेश को वैधानिक बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय में आवेदक की ओर से यह आधार लिया गया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष खनिज अधिकारी श्री चन्द्रभान जोशी के प्रतिपरीक्षण में आवेदक को अतिक्रमण की जगह पर उत्खनन नहीं करते देखा गया, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट विवेचना कर निष्कर्ष नहीं निकाला गया। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.12.2005 के प्रस्तुत पंचनामों में तथाकथित अवैध खनिज उत्खनन किये जाने में आवेदक का अलग से नाम लिखा गया होने के बावजूद उक्त संदेहास्पद पंचनामे को स्वतंत्र साक्षियों द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया। तथाकथित अवैध उत्खनन किस अवधि में, किस व्यक्ति द्वारा किया गया, उक्त तथ्यों को भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अपने आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि प्रत्यावर्तन के पश्चात इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता थी कि अनुविभागीय अधिकारी सूक्ष्म जांच करते कि वास्तव में आवेदक द्वारा अतिक्रमण की जगह पर अवैध उत्खनन किया गया है अथवा नहीं। इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1997 आर0एन0 174 संतोष राय विरूद्ध म0प्र0 राज्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत पतिपादित किया गया है :-

" धारा 247)7) खदानां से अवैध उत्खनन का मामला - सरकार द्वारा पूर्णत स्थापित किया जाना होता है ।"

इसी प्रकार 1996 आर0एन0 365 हरीशंकर तिवारी विरूद्ध म0प्र0 राज्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

" धारा 247(7) खनिज अवैध रूप से निकालना - उपबंध दाण्डिक प्रकृति का है - युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए - मामला साबित नहीं जुर्माना नहीं किया जा सकता ।"

अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा

पारित आदेश अवैध हो जाता है । उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत एवं अन्यायपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जहां तक कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए उनके द्वारा पारित आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2018, कलेक्टर, जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2013 एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2011 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर